वाद सं. 01/26-27 का पत्र सं. (5)

02/06/25

पत्रावली राजस्व अपील अधिनियम के अन्तर्गत दायर हुई। वादी सं. 1, 2, 5 एवं ग्राम वादी सं. 3, 4, 6 जमीन बाबत हक हकूक निषेधाज्ञा दिया कि पट्टाकरण के समय वादगी राजीनामा से हुआ है वाद चलाना नहीं चाहते हैं एवम् संयुक्त प्रार्थना पत्र वादी सं. 1, 2, 5 की पहचान वकील वादीगण द्वारा की गई। अतः वादियों के निवेदन पर वाद वादीगण विड्रा कर उपरोक्त के अनुसार दिये जाते हैं। निर्णय फैसला शुमार होकर नस्ती की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

श्रवण कुमार

आ. वि. मोदी

[illegible]

पहचानकर्ता

शेष वादी 3, 4, 6

[illegible]

कुम्भाराम

[illegible]

सीताराम